आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

15

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

भू-वापसी वाद संख्या- 52/2015-16
(सी0एन0टी0 एक्ट, 1908 की धारा 46(3-4) के तहत)

-:आदेश:-

अनुसूची 14-फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
15/12/17	इस वाद की कार्यवाही जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक 245/भू0अ0 दिनांक 27.06.2015 से अनुसूचित जनजाति की भूमि पर गैर अनुसूचित जनजाति के दखल के संबंध में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3-4) के अन्तर्गत वाद की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पक्षकार को नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही इस संबंध में अंचल अधिकारी, चास से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।	

- : भूमि का विवरण :-

राजस्व ग्राम/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
नरकेरा/26	11	161/5	0.0425

प्रथम पक्ष द्वारा अपने लिखित जवाब में उल्लेख किया गया है कि मौजा नरकेरा, थाना नं0 26, खाता नं0 11, प्लॉट नं0 161/5, रकवा 0.0425ए0 भूमि पर आवेदक का लगभग 42 वर्षो से घर बना हुआ है। आवेदक केवाला सं0 16290 दिनांक 07.06.1974 द्वारा मौजा नरकेरा, खाता नं0 11, प्लॉट नं0 161, रकवा 15डी0 भूमि विक्रेता सुदामा मिश्र, पिता नर्वदेश्वर मिश्र से क्रय कर दखलकार है। जिसका दाखिल खारिज वर्ष 1974-75 से स्वीकृत होकर जमाबंदी सं0 2/44 दर्ज है। न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के भू-वापसी वाद सं0 01/1997-98 में दिनांक 10.12.1997 को आदेश पारित में अनुसूचित जनजाति में आवेदक सोनाराम मांझी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की गई। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि में भू-वापसी वाद चलाना नियम संगत नहीं है। साथ ही इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि के संदर्भ में आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा भू-वापसी रिविजन सं0 97/2004 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 के द्वारा अपर समाहर्त्ता, बोकारो को पुनः सुनवाई हेतु अभिलेख रिमाण्ड किया गया है एवं अपर समाहर्त्ता, बोकारो के न्यायालय द्वारा भू-वापसी अपील वाद सं0 02/2017 में दिनांक 16.04.2017 से पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है। अतः में इनके द्वारा प्रथम पक्ष के विरूद्ध भू-वापसी वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि वर्तमान वाद मौजा नरकेरा, खाता नं0 11, प्लॉट नं0 161/5, रकवा 0.0425ए0 एवं अन्य सर्वे खतियान में सुराई मांझी के नाम से दर्ज था। उनके वंशज के द्वारा किसी भी तरह का वैद्य हस्तांतरण आवेदक के पक्ष में नहीं किया गया था। उक्त भूमि

अनुसूची 14—फारम सं0 ...

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	आदिवासी खाते की भूमि है। सी0एन0टी0 एक्ट 1908 की धारा 46(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासी से आदिवासी के बीच में उपायुक्त के आदेशानुसार ही किया जा सकता है। इन्होंने यह भी कहा है कि उपायुक्त स्वयं संज्ञान लेकर भू—वापसी का वाद संधारित कर सकते है एवं अतिक्रमित भूमि का वापसी आदिवासी के पक्ष में कर सकते है। उन्होंने यह भी कहा है कि आवेदक गैर आदिवासी है तथा जाली कागजात के आधार पर जबरन कब्जा कर रखा है। अंत में इनके द्वारा उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में भू—वापसी करने का अनुरोध किया है।
	प्रथम पक्ष एवं प्राधिकृत अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है, जिसका खतियानी रैयत सुराई मांझी है। कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग न्यायालय में एल0आर0 रिविजन सं0 97/2004 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को लेकर नये सिरे से सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु अभिलेख अपर समाहर्त्ता, बोकारो को रिमाण्ड किया गया है, जो अपर समाहर्त्ता, बोकारो के न्यायालय में लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में कोई प्रभावकारी आदेश पारित करना उचित प्रतित नहीं होता है।
	अतः वाद की कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित की जाती है।
	लेखापित एवं संशोधित।
	14/12/17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास।
	14/12/17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.18 19:12:42 +05:30
Location: 192.168.1.42